

प्रस्तावित आवासीय शहरी योजना मानचित्र

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी २०२४ के अंतर्गत

केशवम होमलैंड प्रथम विस्तार

ग्राम :- कलवाडा, तहसील - सांगानेर, जिला - जयपुर, राजस्थान

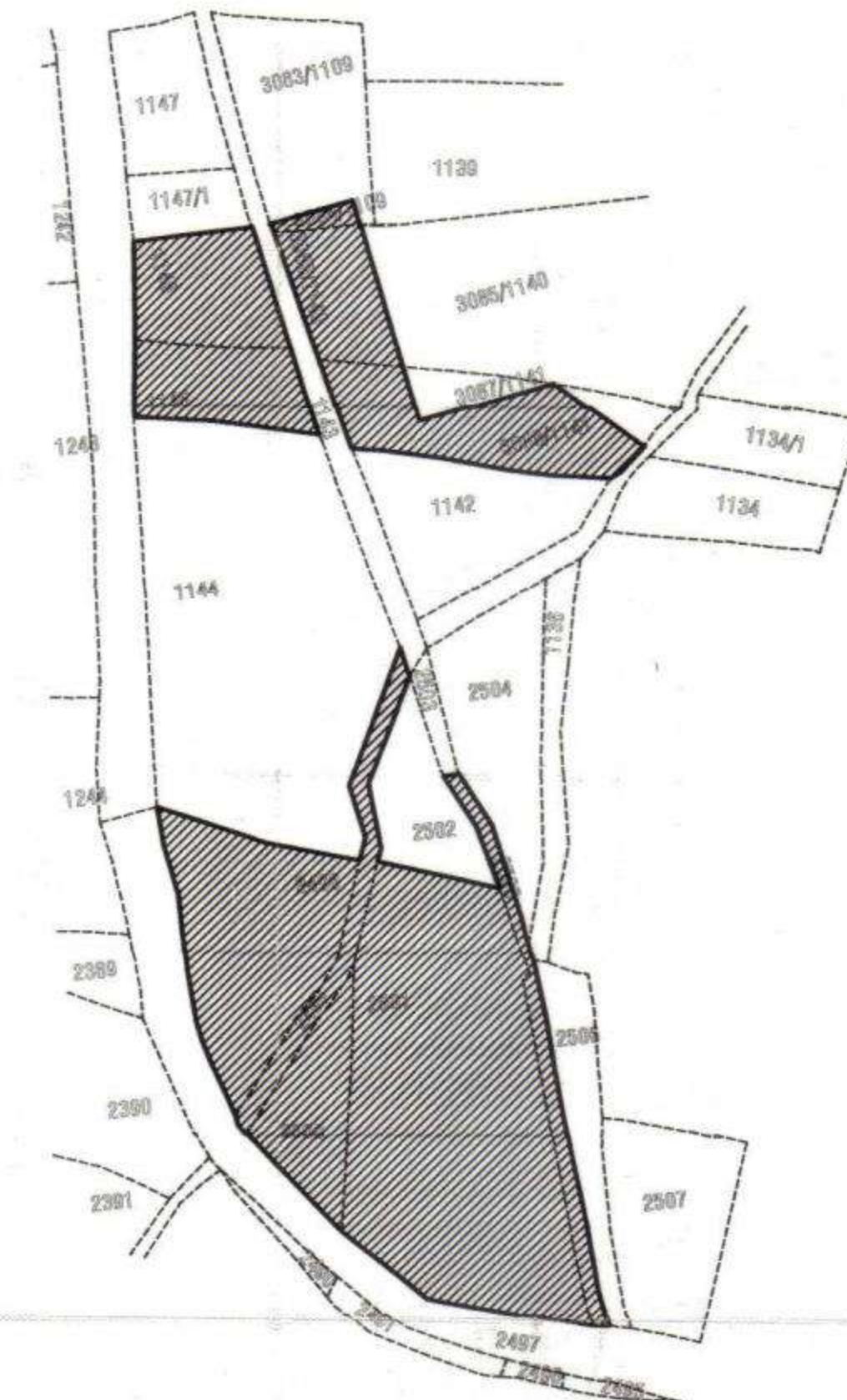
Raj Kaj Number - 1438312

योजना क्षेत्र का खसरा क्षेत्रफल:-

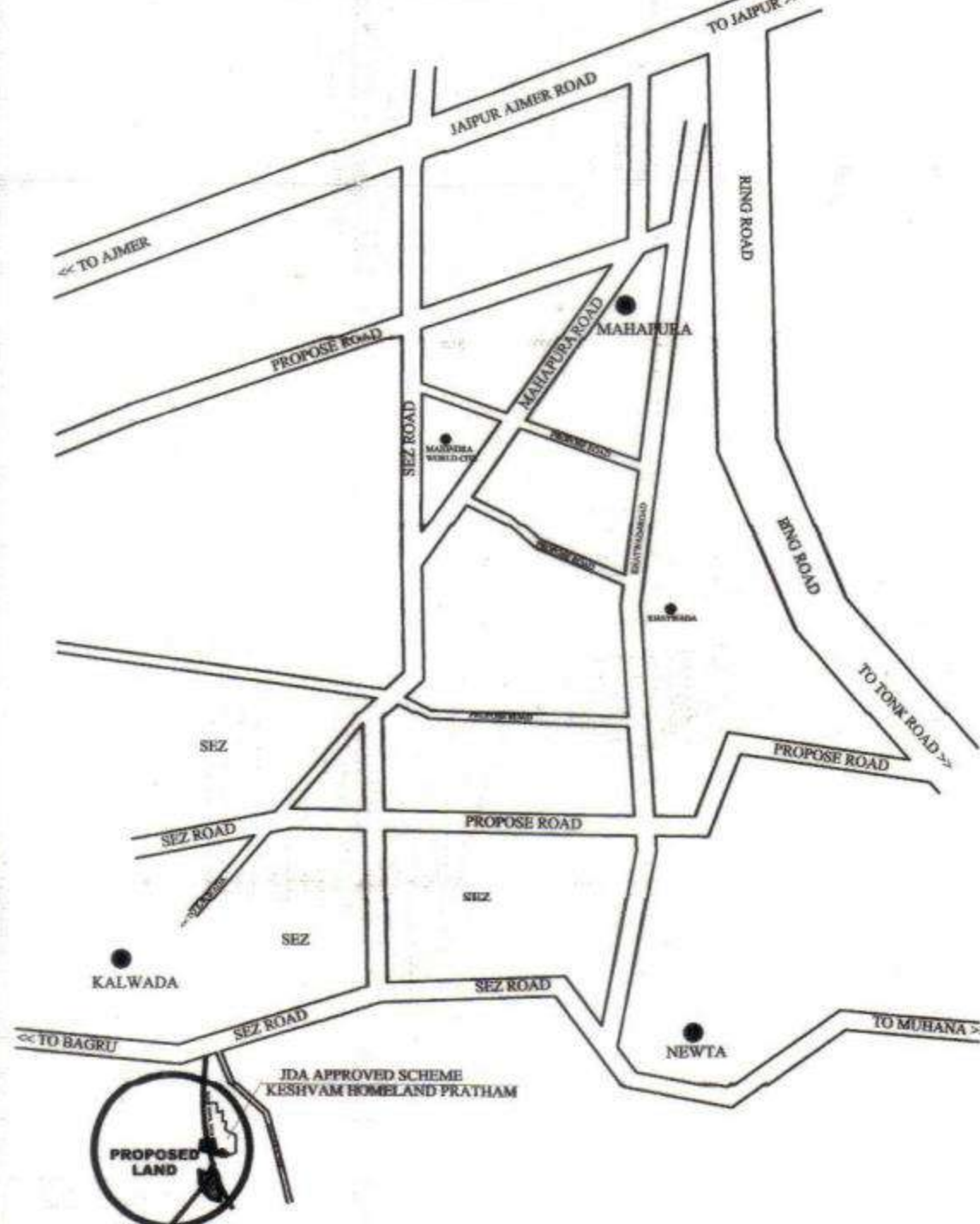
SN	KHASRA NO	RECORD AREA (SQ. MTR.)
1	3084/1109	250
2	3086/1140	1700
3	3088/1141	2950
4	1145	2000
5	1146	1900
6	2498	4700
7	2499	1200
8	2500	1800
9	2501	11600
10	2505	900
TOTAL AREA		29000

1725
B
17-4-26

योजना क्षेत्र का खसरा मानचित्र:-



योजना क्षेत्र का पहुच मार्ग मानचित्र:-



योजना क्षेत्र का दिशा सुचक:-



योजना क्षेत्र का मास्टर विकास योजना २०२४ के अनुसार नू उपयोग
प्रस्तावित आवासीय योजना के मुख्य उपयोग को गणना :-
आवासीय भूखण्ड:- 01 TO 83
एवासीय :- 01 TO 83
ईक्यूएलिस :- 01 TO 83
व्यवसायिक भूखण्ड:- 01 TO 83
खुदरा व्यवसायिक भूखण्ड:- 02

योजना क्षेत्र का भु -उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्र.सं.	भु -उपयोग	क्षेत्रफल(व.मी.मे)	प्रतिशत
1.	आवासीय भूखण्ड	11271.38	38.87%
2.	ईक्यूएलिस एलआईजी	1139.50	03.93%
3.	व्यवसायिक भूखण्ड	1226.19	04.23%
4.	खुदरा व्यवसायिक	513.81	01.77%
(A)	कुल क्षेत्रफल (1 TO 4)	14150.88	48.80%
5.	पार्क	2155.30	07.43%
6.	खेल मैदान	900.72	03.11%
7.	सुविधा क्षेत्र	1160.00	04.00%
8.	जन सुविधा क्षेत्र	1160.00	04.00%
9.	टोस कवरा प्रबंधन	50.00	00.17%
10.	मोबाईल टावर	30.00	00.10%
11.	सड़क	9393.10	32.39%
(B)	कुल क्षेत्रफल (5 TO 11)	14849.12	51.20%
योजना क्षेत्रफल		29000.00	100.00%
प्रस्तावित योजना की आवेदित भूमि का क्षेत्रफल		29000.00 व.मी. (2.90 हेक्टेयर)	

योजना का नाम :-

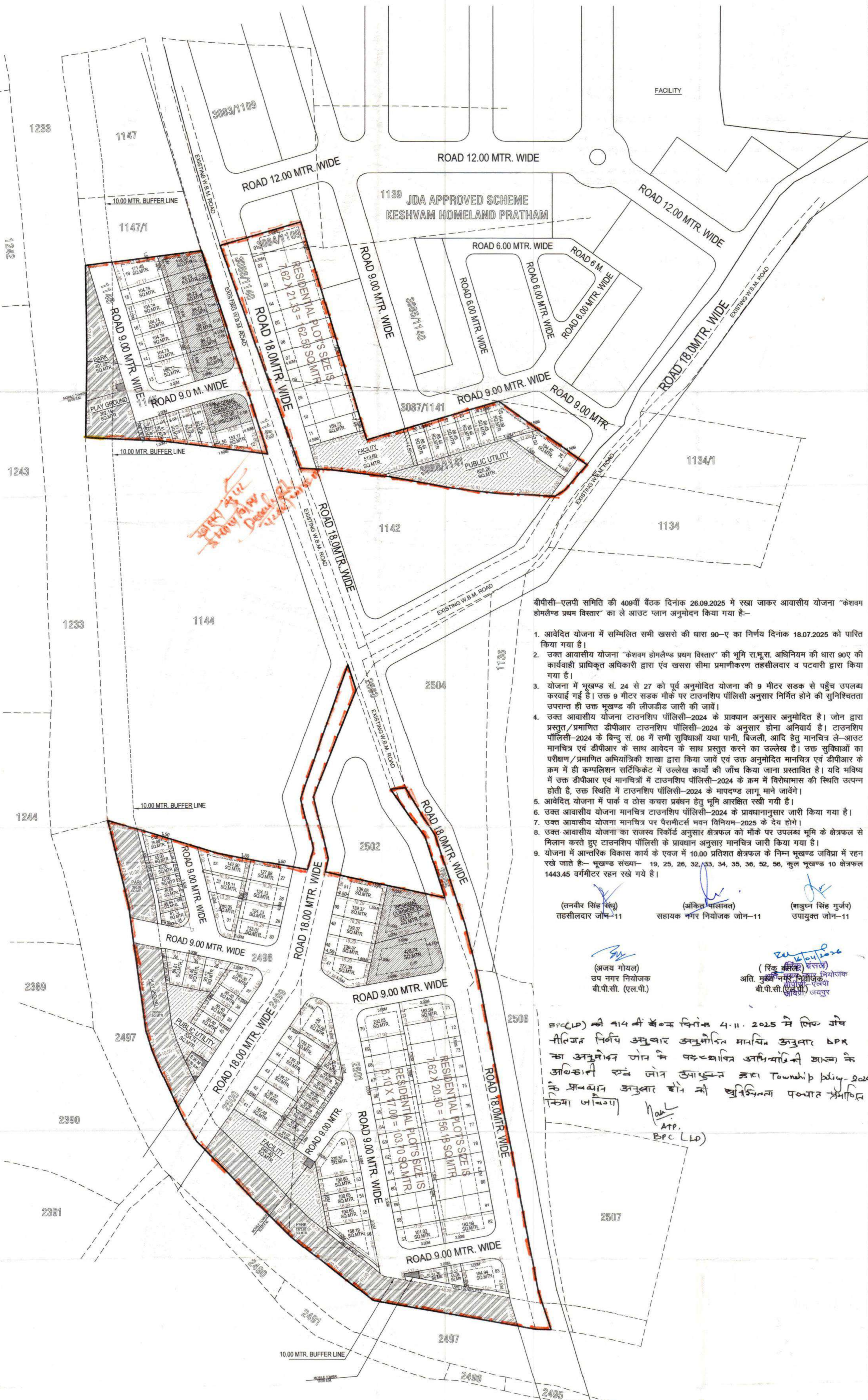
प्रस्तावित आवासीय शहरी योजना मानचित्र
राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी २०२४ के अंतर्गत
केशवम होमलैंड प्रथम विस्तार
ग्राम :- कलवाडा, तहसील - सांगानेर, जिला - जयपुर, राजस्थान

योजना विकास कर्ता :-

जोन संख्या = 11
मैपिंग = 1 : 750

योजनाकार :-
कैडमैक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान
फोन :- 9602300000, 9602300011
ईमेल :- cadmax@gmail.com, www.cadmax.co.in

जयपुर विकास प्राधिकरण



बीपीसी-एलपी समिति की 409वीं बैठक दिनांक 26.09.2025 में रखा जाकर आवासीय योजना 'केशवम होमलैंड प्रथम विस्तार' का ले आउट प्लान अनुमोदन किया गया है:-

- आवेदित योजना में सम्मिलित सभी खसरा की धारा 90-ए का निर्णय दिनांक 18.07.2025 को पारित किया गया है।
- उक्त आवासीय योजना 'केशवम होमलैंड प्रथम विस्तार' की भूमि रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमा प्रमाणीकरण तहसीलदार व पटवारी द्वारा किया गया है।
- योजना में भूखण्ड सं. 24 से 27 को पूर्व अनुमोदित योजना की 9 मीटर सड़क से पहुँच उपलब्ध करवाई गई है। उक्त 9 मीटर सड़क मौके पर टाउनशिप पॉलिसी अनुसार निर्मित होने की सुनिश्चितता उपरान्त ही उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी की जावे।
- उक्त आवासीय योजना टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधान अनुसार अनुमोदित है। जोन द्वारा प्रस्तुत/प्रमाणित डीपीआर टाउनशिप पॉलिसी-2024 के अनुसार होना अनिवार्य है। टाउनशिप पॉलिसी-2024 के बिन्दु सं. 06 में सभी सुविधाओं यथा पानी, बिजली, आदि हेतु मानचित्र ले-आउट मानचित्र एवं डीपीआर के साथ आवेदन के साथ प्रस्तुत करने का उल्लेख है। उक्त सुविधाओं का परीक्षण/प्रमाणित अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किया जावे एवं उक्त अनुमोदित मानचित्र एवं डीपीआर के क्रम में ही कम्प्लिशन सर्टिफिकेट में उल्लेख कार्यों की जाँच किया जाना प्रस्तावित है। यदि भविष्य में उक्त डीपीआर एवं मानचित्रों में टाउनशिप पॉलिसी-2024 के क्रम में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है, उक्त स्थिति में टाउनशिप पॉलिसी-2024 के मापदण्ड लागू माने जावेंगे।
- आवेदित योजना में पार्क व टोस कवरा प्रबंधन हेतु भूमि आरक्षित रखी गयी है।
- उक्त आवासीय योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधानानुसार जारी किया गया है।
- उक्त आवासीय योजना मानचित्र पर पैरामीटर्स भवन विनियम-2025 के देय होंगे।
- उक्त आवासीय योजना का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार क्षेत्रफल को मौके पर उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल से मिलान करते हुए टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना में आन्तरिक विकास कार्य के एवज में 10.00 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड जविप्रा में रहन रखे जाते हैं:- भूखण्ड संख्या- 19, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 52, 56, कुल भूखण्ड 10 क्षेत्रफल 1443.45 वर्गमीटर रहन रखे गये हैं।

(तनवीर सिंह संसु)
तहसीलदार जोन-11

(अंकित मालावत)
सहायक नगर नियोजक जोन-11

(राजेश सिंह गुर्जर)
उपायुक्त जोन-11

(अजय गोयल)
उप नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

(रिंक बंसल)
अति. मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.) जयपुर

B.P.C.L.P) को 414 वीं बैठक दिनांक 4.11. 2025 में लिए गये
सीलित निर्णय अनुसार अनुमोदित मानचित्र अनुसार B.P.R
का अनुमोदन जोन में पटवारी अभियांत्रिकी शाखा के
अधिकारी एवं जोन उपायुक्त द्वारा Township Policy-2024
में प्रावधान अनुसार जोन में खसरा पंजीयन प्रमाणित
किया जावेगा।

MAF
APP,
B.P.C.L.P)